

साहित्य अकादेमी/SAHITYA AKADEMI

रवीन्द्र भवन/Rabindra Bhavan

35, फ़ीरोज़शाह मार्ग, नई दिल्ली 110 001/35, Ferozeshah Road, New Delhi 110001

दूरभाष/Tel: +91-11-23386626, +91-11-23387064

फैक्स/Fax: +91-11-23382428

ई-मेल/E-mail : secertary@sahitya-akademi.gov.in वेबसाइट/Website : http://www.sahitya-akademi.gov.in

22 August 2014

वार्षिक साहित्य अकादेमी अनुवाद पुरस्कार नियम RULES FOR SAHITYA AKADEMI PRIZE FOR TRANSLATION

1. सामान्य

- (1) उप—नियम 1 (2) के अंतर्गत पुरस्कार वर्ष के तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष के पहले पाँच वर्षों में साहित्य अकादेमी (इसके पश्चात् जिसे अकादेमी कहा जाएगा) द्वारा मान्यता—प्रदत्त भाषाओं में किसी भी भाषा में भारतीय लेखक के प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट अनुवाद के लिए प्रत्येक वर्ष एक पुरस्कार होगा।
 - यथा : सन् 2014 के पुरस्कार के लिए सन् 2008 से 2012 के दौरान प्रकाशित पुस्तकें ही विचारणीय होंगी।
- (2) किसी भाषा के लिए किसी वर्ष यह पुरस्कार नहीं दिया जा सकता है, यदि नियम 5 (1) के अंतर्गत गठित निर्णायक—मंडल की राय में यदि किसी भाषा में पुरस्कार वर्ष के विगत पाँच वर्षों में प्रकाशित कोई पुस्तक पुरस्कार के योग्य नहीं पाई जाती।
- (3) प्रशस्ति—पत्र के अलावा पुरस्कार के रूप में उतनी राशि प्रदान की जाएगी, जितनी अकादेमी समय—समय पर निर्धारित करेगी।

2. पुरस्कार के लिए पात्रता के मानदंड

(1) पुरस्कार के पात्र होने के लिए पुस्तक को अकादेमी द्वारा मान्यता—प्रदत्त भाषाओं की मौलिक कृति का पूर्ण, असंक्षिप्त और मूलनिष्ठ अनुवाद होना चाहिए।

1. General

- (1) Subject to the provisions of rule 1 (2), there shall be an award every year for the most outstanding work of translation by an Indian author, of an original work by Indian author written in a language recognized by Sahitya Akademi and published in India, during the five years prior to the year, immediately preceding the year of the award.
 - **Illustration :** For the award of 2014, books published between 2008 and 2012 would be considered.
- (2) The award for any language may not be given during any year if, in the opinion of the Jury constituted in pursuance of rule 5 (1), no book published in that language during the five years preceding the year of the award merits the award.
- (3) The award shall consist of such amount as the Akademi may from time to time decide besides a citation.

2. Criteria of eligibility for the Award

(1) In order to be eligible for the award, the book must be a full, unabridged and readable translation of the original work which must be a work in टिप्पणी : प्राचीन तथा मध्यकालीन गौरव ग्रंथों के अनूदित अंश पुरस्कार के लिए उस स्थिति में पात्र होंगे, जब अनुवाद मूलनिष्ठ हो।

- (2) मूल लेखक की प्रतिष्ठा तथा कृति विशेष की उत्कृष्टता को भी ध्यान में रखा जाएगा।
- (3) उस अनुवादक की कृति, जो एक बार अनुवाद पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है या अकादेमी के कार्यकारी मंडल का कोई सदस्य, इस पुरस्कार के लिए विचारणीय नहीं होगा।
- (4) किसी संपर्क भाषा के माध्यम से किए गए अनुवाद पर भी विचार किया जा सकता है, लेकिन वरीयता मूल भाषा से किए गए अनुवाद को दी जाएगी।
- (5) मरणोपरांत प्रकाशित कृतियाँ भी पुरस्कार की पात्र होंगी।
- (6) संयुक्त रूप से अनूदित पुस्तक भी पुरस्कार की पात्र होगी। यदि ऐसी कृति पुरस्कृत होती है, तो पुरस्कार राशि अनुवादकों के बीच बराबर—बराबर बाँट दी जाएगी।
- (7) अकादेमी द्वारा प्रकाशित विनिबंधों के अनुवाद पुरस्कार के पात्र नहीं होंगे।
- (8) पुरस्कार दिलाने के लिए समर्थन जुटाए जाने की स्थिति में पुस्तक पुरस्कार के लिए अयोग्य मानी जाएगी।
- (9) पुरस्कार के लिए केवल तभी विचार किया जाएगा जब चयन की अंतिम प्रक्रिया में कम—से—कम तीन पुस्तकें हों।

3. आधार—सूची का निर्माण तथा भाशा परामर्श मंडल के सदस्यों की संस्तुतियाँ प्राप्त करना

- (1) अकादेमी हर वर्ष मान्यता प्रदत्त भाषा की विचारणीय पुस्तकों की एक आधार—सूची तैयार कराएगी जिसका निर्माण—कार्य दो विशेषज्ञों को सौंपा जा सकता है।
- (2) भाषा परामर्श मंडल का प्रत्येक सदस्य अधिक—से अधिक पाँच नामों का एक पैनल भेजेगा और अकादेमी के अध्यक्ष (जिन्हें इसके बाद अध्यक्ष कहा जाएगा) इस प्रकार प्राप्त पैनलों में से विशेषज्ञ या विशेषज्ञों का चुनाव करेंगे।

any of the languages recognised by the Akademi.

Note: Translation of parts of an ancient or medieval classic will also be eligible for the award.

- (2) The standing of the original writer and the excellence of the work would also be taken into consideration.
- (3) The work of a translator who has earlier won the Translation Prize or who is a member of the Executive Board of the Akademi shall not be considered.
- (4) While translation through a link language can be considered, preference will be given to a work of translation from the original language.
- (5) A posthumous publication may be eligible for the award.
- (6) A book jointly translated by two persons shall be eligible for the award. In the event this work wins the award, the award amount shall be equally divided between the translators.
- (7) Translation of monographs published by the Akademi are not eligible for the award.
- (8) Canvassing in any form shall disqualify the book for the award.
- (9) The Award will be considered only if there is minimum of three books in the final stage of selection.

3. Preparation of the Ground list and obtaining recommendations from members of the Language Advisory Board

- (1) The Akademi shall have every year a ground list prepared of eligible books of each recognized language. Preparation of the ground list shall be entrusted to two experts.
- (2) Each Language Advisory Board member shall send a panel of not more than five names and the President of the Akademi (hereafter referred to as the President) shall choose the expert or experts out of this panel.

- (3) आधार—सूची तैयार करते समय विशेषज्ञ नियमों में सुनिश्चित विचारणीयता के मानदंडों का कड़ाई से पालन करेंगे। इस प्रकार निर्मित आधार—सूची, जिसमें गत वर्ष संस्तुत कृतियाँ भी सम्मिलित होंगी, संबद्ध भाषा परामर्श मंडल के (संयोजक सिहत) सभी सदस्यों को इस अनुरोध के साथ भेजी जाएगी कि वे अकादेमी द्वारा निर्धारित तिथि तक दो पुस्तकें अनुमोदित करें। प्रत्येक सदस्य
 - (क) आधार-सूची से दोनों पुस्तकें, अथवा
 - (ख) एक पुस्तक आधार—सूची से और दूसरी अपनी रुचि की,

अथवा

(ग) दोनों पुस्तकें अपनी रुचि की चुन सकते / सकती हैं।

4. प्रारंभिक पैनल तथा उसके कार्य

- (1) प्रारंभिक पैनल में दस निर्णायक होंगे जिनका चयन अध्यक्ष द्वारा संबद्ध भाषा परामर्श मंडल के सदस्यों के सुझावों पर विचार करने के पश्चात् किया जाएगा।
- (2) भाषा परामर्श मंडल के सदस्यों से प्राप्त संस्तुतियाँ संकलित करके प्रत्येक निर्णायक को भेजी जाएँगी।
- (3) प्रत्येक निर्णायक दो पुस्तकें अनुमोदित करेगा। ये पुस्तकें पूर्ववर्ती नियम 4(2) के अनुसार भेजी गई सूची में से चुनी जा सकती हैं अथवा निर्णायक द्वारा स्वयं अपने विवेक से।

5. जूरी और उसके कार्य

- (1) प्रारंभिक पैनल के निर्णायकों की संस्तुतियों पर एक त्रि—सदस्यीय जूरी विचार करेगी। जूरी के सदस्यों का चयन अध्यक्ष द्वारा इस संदर्भ में प्राप्त संबद्ध परामर्श मंडल के सदस्यों की संस्तुतियों पर विचार करने के उपरांत किया जाएगा।
- (2) अकादेमी प्रारंभिक पैनल के निर्णायकों द्वारा अनुशंसित पुस्तकें ख़रीद कर जूरी के सदस्यों और संयोजक को भेजेगी।

- (3) In preparing the ground list, the expert or experts shall strictly conform to the criteria of eligibility laid down in these rules. The ground list so prepared along with the ground list of the previous year shall be sent to all the members of the concerned Language Advisory Board (including the Convener) with the request to recommend two titles each by such date as may be specified by the Akademi. A member may select:
 - 1. both the titles from the ground list, or
 - 2. one title from the ground list and the other on his/her own,

or

3. both the titles on his/her own.

4. The Preliminary Panel and its Functions

- (1) The Preliminary Panel shall consist of ten Referees. These Referees shall be nominated by the President after considering suggestions of the members of the Language Advisory Board concerned.
- (2) The recommendations received from members of the Language Advisory Board shall be compiled and sent to each Referee.
- (3) Each Referee should recommend two books. These titles may be selected either out of the list sent in pursuance of rule 4 (2) above or by the Referee on his/her own.

5. The Jury and its Functions

- (1) The recommendations of Referees in the Preliminary Panel shall be considered by a three-member Jury. The Jury members shall be selected by the President after considering the recommendations in this behalf by the members of the Language Advisory Board concerned.
- (2) The Akademi shall purchase the books recommended by the Referees in the Preliminary Panel and send them to the Jury members and to the Convener.

- (3) संयोजक, जूरी और अकादेमी के बीच संपर्क सूत्र का काम करेगा। संयोजक की अनुपस्थिति में अकादेमी के अध्यक्ष सामान्य परिषद अथवा परामर्श मंडल के सदस्य को उनके स्थान पर नामित कर सकते हैं। वह यह सुनिश्चित करेगा/करेगी कि जूरी की बैठक उचित और संतोषजनक रूप में संपन्न हो। वह जूरी की रिपोर्ट पर प्रतिहस्ताक्षर भी करेगा/करेगी।
- (4) जूरी के सदस्य या तो सर्वसम्मित से अथवा बहुमत से पुरस्कार के लिए एक पुस्तक की अनुशंसा करेंगे। वे यह भी अनुशंसा कर सकते हैं कि उनके विचार में इस वर्ष कोई भी पुस्तक पुरस्कार के योग्य नहीं है। कोई सदस्य यदि किसी कारणवश बैठक में उपस्थित नहीं हो पाता तो वह अपना विचार लिखित रूप में भेज सकता/ सकती है। उन्हें चर्चा में भाग लेने हेतु फ़ोन की सुविधा भी प्रदान की जा सकती है।

6. पुरस्कार की घोशणा

(1) जूरी की संस्तुति को औपचारिक अनुमोदन और पुरस्कार की घोषणा के लिए कार्यकारी मंडल के समक्ष रखा जाएगा। पुरस्कार की घोषणा के साथ ही जूरी के सदस्यों के नाम और अंतिम चरण में चुनी गई पुस्तकों की सूची भी घोषित कर दी जाएगी।

7. विविध

- (1) यदि भाषा परामर्श मंडल के किसी सदस्य या निर्णायक द्वारा संस्तुति भेजने की समय—सीमा की अनदेखी की जाती है, तो अकादेमी यह मानकर चलेगी कि उसका / उसकी कोई संस्तुति नहीं है और तदनुसार अपनी पुरस्कार —प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी सिवा उस विशेष परिस्थिति के, जिसमें अकादेमी समय—सीमा को बढ़ा पाने की स्थिति में हो और वास्तव में उसे बढाती हो।
- (2) कार्यकारी मंडल / अध्यक्ष के निर्णयानुसार पुरस्कार समारोह की तिथि निर्धारित की जाएगी।
- (3) यदि पुरस्कार प्रदान किए जाने के पूर्व किसी पुरस्कार विजेता की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में वह पुरस्कार उसके / उसकी पति, पत्नी अथवा किसी कानूनी वारिस को दिया जाएगा।

सचिव साहित्य अकादेमी

- (3) The Convener shall act as the link between the Jury and the Akademi. In the absence of the Convener, President can nominate a General Council or Advisory Board Member as a replacement. He/she will ensure that the meeting of the Jury is conducted properly and satisfactorily and will countersign the report of the Jury.
- (4) The Jury members shall, either by consensus or by majority, recommend a book for the award. They may also recommend that, in their opinion, no book is eligible for the award during the year. All the members have to attend the meeting, however, only in case of emergency he/she may convey his/her views in writing. He/she should be provided with the facility of participating in the discussion through phone.

6. Declaration of Award

(1) The recommendation of the Jury shall be placed before the Executive Board for formal approval and announcement of the award. The names of the Jury members and the shortlisted books in the final stage shall be made public simultaneously with the announcement of the Award.

7. Miscellaneous

- (1) If the time limit for submission of the recommendations is not observed by a member of the Language Advisory Board or by a Referee, the Akademi shall presume that he or she has no recommendation to make and shall proceed accordingly unless, in any particular case, it is in a position to extend the time limit and actually does so.
- (2) The award ceremony shall be held on such date and at such place as the Executive Board/President may decide.
- (3) In the event of the death of an award-winning author before conferment of the award, it shall be given to his/her spouse or to a legal heir.

Secretary Sahitya Akademi